IV ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन

वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने संपूर्ण देश में वित्तीय साक्षरता केंद्र परियोजना को विस्तारित करते हुए अपनी वित्तीय समावेशन पहल को और अधिक गति प्रदान की और वित्तीय क्षेत्र के अन्य विनियामकों के साथ कदम से कदम मिलाकर वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई) के लक्ष्यों को आगे बढ़ाया। इस दौरान कमजोर वर्गों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण की समय पर उपलब्धता और उन तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए।

IV.1 रिज़र्व बैंक ने संपूर्ण देश में समाज के सभी वर्गों के लिए बैंकिंग सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने सहित अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऋण वितरण प्रणाली को मज़बूत बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और ऋण वितरण में सुधार के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान कई कदम उठाए गए।

IV.2 वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि वित्तीय समावेशन में अब तक हुई प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी की जाए और आवधिक आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाए। तदनुसार, एक संयुक्त वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफ़आई-सूचकांक) तैयार किया गया जिसे 17 अगस्त 2021 को पहली बार प्रकाशित किया गया। इस एफ़आई-सूचकांक के दूसरे संस्करण में वर्ष-दर-वर्ष 4.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के दायरे/पहाड़ी क्षेत्रों में 500 परिवारों के आवास वाले प्रत्येक गांव तक बैंकिंग पहुंच में भी काफी प्रगति हुई है जो एनएसएफआई: 2019-24 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इसके अलावा, देश में डिजिटल भुगतान तंत्र का और अधिक विस्तार करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समितियों/केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समितियों ने (एसएलबीसी/यूटीएलबीसी) अपने संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे जिलों की पहचान की है, जिन्हें डिजिटल रूप से 100 प्रतिशत सक्षम बनाया जा सके। मार्च 2023 के अंत तक, इस कार्यक्रम के तहत देश भर में 182 जिलों की पहचान की जा चुकी है।

IV.3 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को तीन खंडों में संरचित किया गया है। वर्ष 2022-23 की कार्यसूची के कार्यान्वयन की स्थिति को खंड 2 में बताया गया है। इसमें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में ऋण प्रवाह के प्रदर्शन सहित वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के संबंध में हुई प्रगति को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए कार्य-योजना का उल्लेख खंड 3 में किया गया है तथा अंत में सारांश प्रस्तुत किया गया है।

2. वर्ष 2022-23 की कार्यसूची

IV.4 विभाग ने वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- आउटरीच को सुदृढ़ बनाने के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाकर वित्तीय सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित कर फिनटेक के क्षेत्र में हुए विकास के प्रयोग से एनएसएफआई : 2019-24 के तहत प्रमुख लक्ष्यों का कार्यान्वयन (उत्कर्ष) [पैराग्राफ IV.5-IV.7*];*
- संपूर्ण देश को शामिल करने के लिए वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (सीएफ़एल) का विस्तार करना (उत्कर्ष) (पैराग्राफ IV.7*);* और
- वित्तीय शिक्षा के प्रसार में शामिल मध्यवर्ती संस्थाओं की क्षमता विकास के माध्यम से वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़ई): 2020-25 के तहत प्रमुख लक्ष्यों का कार्यान्वयन (पैराग्राफ IV.8)।

कार्यान्वयन की स्थिति

IV.5 एनएसएफ़आई को वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक बनाने के लिए संबंधित सभी हितधारकों के प्रयासों को एक साथ लाने और उनमें समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया है। एनएसएफ़आई कार्य-योजना और प्रमुख लक्ष्यों को निर्धारित करता है और इस संबंध में व्यापक सिफ़ारिशें करता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, डिजिटल इको-सिस्टम को समर्थित करने के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर के सृजन पर ध्यान केंद्रित करने सहित प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग कर ग्राहक शिकायत निवारण के लिए अंतर-विनियामक समन्वय को मजबूत बनाने और नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाने पर केन्द्रित है।

IV.6 डिजिटल वित्तीय सेवाओं के संबंध में भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ़) स्थापित करने, डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण (ईडीडीपीई) जैसी कई परियोजनाएं और भारत सरकार की भारत नेट परियोजना क्रियान्वित की गई हैं। प्रौद्योगिकी संचालित वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और जोखिम न्यूनीकरण तथा नवोन्मेष को बढ़ाने में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों ने वित्तीय समावेशन के संवर्धन में उनकी दक्षता का आकलन करने के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाने हेतु विनियामकीय सैंडबॉक्स के लिए एक सक्षम फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसके अलावा, एक से अधिक वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों[1] के विनियामकीय दायरे में आने वाले नवोन्मेषी उत्पादों/सेवाओं के परीक्षण की सुविधा के लिए इंटर-ऑपरेबल विनियामकीय सैंडबॉक्स (आईओआरएस) के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है।

IV.7 वित्तीय सेवाओं के तेजी से डिजिटलीकरण के साथ-साथ लक्षित क्षेत्रों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवाओं के उपयोग को सुगम बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता क्षेत्र में ठोस प्रयास किए गए हैं। तदनुसार, अवधारणा साक्षरता के साथ-साथ प्रक्रिया साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक वित्तीय शिक्षण पुस्तिका तैयार की गई है, और कार्यस्थल पर स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और नए सदस्यों के लिए भी इसी तरह की पुस्तिका तैयार करने की प्रक्रिया में है। सीएफएल[2] की संख्या को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है (बॉक्स IV.1 भी देखें)। 31 मार्च 2023 के अनुसार देश भर में कुल 1,469 सीएफएल कार्यशील थे।

IV.8 एनएसएफई: 2020-25 के अंतर्गत प्रमुख लक्ष्यों में से एक वित्तीय साक्षरता के प्रसार में शामिल मध्यवर्ती संस्थाओं में क्षमता निर्माण करना है। एनसीएफई मध्यवर्ती संस्थाओं की क्षमता निर्माण का ध्यान रखने वाली नोडल एजेंसी है। इसने वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) के प्रभारियों, सेबी के साथ पंजीकृत रिसोर्स व्यक्तियों, वरिष्ठ बैंक अधिकारियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साक्षरता अधिकारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। ये कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे हैं कि मध्यवर्ती संस्थाएं नवीनतम गतिविधियों से अवगत हों।

प्रमुख गतिविधियां

ऋण वितरण

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र

IV.9 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए उधार 44.7 प्रतिशत रहा। वर्ष 2022-23 के दौरान प्रत्येक बैंक समूह (अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और

[1] भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफ़एससीए) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफ़आरडीए)।

[2] सीएफएल परियोजना जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता को सुदृढ़ बनाने के लिए नवोन्मेषी और सामुदायिक नेतृत्व से प्रतिभागिता दृष्टिकोण के साथ रिज़र्व बैंक का गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और बैंकों को एक साथ लाने का प्रयास है। सीएफ़एल परियोजना 2017 में प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई थी। एक सघन प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त अनुभव के आधार पर सीएफ़एल परियोजना का पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है।

सारणी IV.1: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2021-22	26,49,180 (42.90)	16,85,806 (43.71)	2,08,107 (42.65)
2022-23*	28,55,355 (44.18)	19,93,388 (45.57)	2,10,578 (42.92)

*: आंकड़े अनंतिम हैं।

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्र जोखिम से इतर के समतुल्य ऋण (सीईओबीई) जो भी अधिक हो, उसके प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत: एसबीसी द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र विवरणियाँ।

विदेशी बैंक) ने भी अब तक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत का समग्र लक्ष्य प्राप्त कर लिया है [सारणी IV.1]।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी)

IV.10 पीएसएलसी के कुल कारोबार परिमाण में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 12.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह वर्ष 2022-23 में ₹7.13 लाख करोड़ रही। चारों पीएसएलसी श्रेणियों में, सबसे अधिक कारोबार पीएसएलसी-लघु और सीमांत किसानों और पीएसएलसी-सामान्य के मामले में देखने को मिला, जिसमें वर्ष 2022-23 के दौरान लेनदेन की मात्रा क्रमशः ₹ 3.21 लाख करोड़ और ₹ 1.79 लाख करोड़ रही।

बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को आगे उधार देने के लिए ऋण

IV.11 विनिर्दिष्ट प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने में बैंकों और एनबीएफसी के बीच आपसी तालमेल की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित को सतत आधार पर पीएसएल के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया: (ए) 'कृषि' और 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों' को आगे उधार देने के उद्देश्य से एससीबी द्वारा एनबीएफसी को उधार देना, और (बी) व्यक्तियों को आगे उधार देने के उद्देश्य से लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा ऐसी एनबीएफसी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) और अन्य एमएफआई को उधार देना, जिनके पास पिछले वित्त वर्ष की 31 मार्च की स्थित के अनुसार ₹500 तक का 'सकल ऋण पोर्टफोलियो' (जीएलपी) हो।

कृषि क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता

IV.12 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपभोग, निवेश और बीमा उद्देश्यों के साथ-साथ कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए एकल खिड़की के जरिए किसानों को पर्याप्त और समय पर बैंक ऋण प्रदान करता है (सारणी IV.2)।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए बैंक ऋण

IV.13 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण की उपलब्धता बढ़ाना रिज़र्व बैंक और भारत सरकार की नीतिगत प्राथमिकता रही है। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, एससीबी द्वारा एमएसएमई को दिए गए ऋण का बकाया वर्ष 2022-23 के

सारणी IV.2: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

(संख्या लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	सक्रिय केसीसी की संख्या#	बकाया फसल ऋण	बकाया मीयादी ऋण	पशुपालन एवं मछली पालन के लिए बकाया ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6
2021-22	268.70	4,33,408	29,306	13,559	4,76,273
2022-23*	282.96	4,61,391	37,551	19,694	5,18,636

* आंकड़े अनंतिम हैं।

#: सक्रिय केसीसी खातों की संख्या में अनर्जक (एनपीए) खाते शामिल नहीं हैं।

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और लघु वित्त बैंक (आरआरबी को छोड़कर)।

सारणी IV.3: एमएसएमई को बैंक ऋण

(संख्या लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	सूक्ष्म उद्यम		लघु उद्यम		मध्यम उद्यम		एमएसएमई	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020-21	387.93	8,21,027.77	27.82	6,62,998.50	4.44	2,99,898.53	420.19	17,83,924.80
2021-22	239.58	8,82,693.58	21.88	7,22,274.25	3.22	4,06,089.15	264.67	20,11,056.98
2021-22 (दिसंबर 2021 के अंत तक)	221.07	8,23,270.41	22.87	6,88,435.22	3.34	3,71,997.95	247.28	18,83,703.59
2022-23* (दिसंबर 2022 के अंत तक)	193.64	9,78,646.26	16.83	7,34,260.08	3.20	4,37,686.00	213.68	21,50,592.34

* आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की विवरणियां।

दौरान अब तक (दिसंबर 2022 के अंत तक) 14.2 प्रतिशत तक बढ़ गया है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 11.7 प्रतिशत था (सारणी IV.3)।

वित्तीय समावेशन

अग्रणी बैंक की ज़िम्मेदारी सौंपना

IV.14 रिज़र्व बैंक प्रत्येक जिले में एक निर्दिष्ट बैंक को अग्रणी बैंक की ज़िम्मेदारी सौंपता है। मार्च 2023 के अंत तक, 12 सरकारी क्षेत्र के बैंकों और एक निजी क्षेत्र के बैंक को देशभर के 760 जिलों में अग्रणी बैंक की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रत्येक गांव में वित्तीय सेवाओं तक सभी की पहुँच

IV.15 प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में / पहाड़ी क्षेत्रों में 500 परिवारों के आवास वाले प्रत्येक गांव तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना एनएसएफ़आई: 2019-24 का एक प्रमुख उद्देश्य है। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 26 राज्यों और 7 केंद्रशासित प्रदेशों में इस लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त किया जा चुका है और देशभर के चिन्हित गांवों / छोटे गांवों के 99.96 प्रतिशत को यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है। शेष गांवों / छोटे गांवों के संबंध में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

डिजिटल भुगतान तंत्र की पैठ बढ़ाना

IV.16 देश में डिजिटल भुगतान तंत्र का विस्तार करने और उसकी पैठ बढ़ाने के लिए सभी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी को अपने संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जिले/जिलों की पहचान करने और उसे अपने एक ऐसे बैंक को आबंटित करने के लिए कहा गया है जिसकी जिले में प्रभावी मौजूदगी हो। यह आबंटिती बैंक जिले के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, त्वरित, किफायती और सुविधाजनक तरीके से भुगतान करने/प्राप्त करने की सुविधा के लिए जिले को डिजिटल रूप से 100 प्रतिशत सक्षम बनाने का प्रयास करेगा। डिजिटल रूप से 100 प्रतिशत सक्षम बनाने के लिए 31 मार्च 2023 तक ऐसे 182 जिलों (पायलट कार्यक्रम के तहत 42 जिले और स्केल अप कार्यक्रम के तहत 140 जिले) की पहचान की गई है। इन 182 जिलों में से 87 जिले (26 पायलट के तहत और 61 स्केल अप प्रोग्राम के तहत) 31 दिसंबर 2023 तक 100 प्रतिशत डिजिटल रूप से सक्षम हैं।

वित्तीय समावेशन योजना

IV.17 देश में वित्तीय समावेशन के स्तर को सर्वांगीण और संधारणीय तरीके से बढ़ाने हेतु वित्तीय समावेशन योजनाएं (एफआईपी) तैयार करने के संबंध में बैंकों को सूचित किया गया है। इन एफ़आईपी के विभिन्न मानदंडों जैसे कि बैंकिंग

आउटलेट्स की संख्या [शाखाएं और कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)], बुनियादी बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए), इन खातों में ली गई ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, केसीसी और सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) खातों में लेनदेन और कारोबार

सारणी IV.4: वित्तीय समावेशन योजना: प्रगति रिपोर्ट

विवरण	मार्च 2010	दिसं 2021	दिसं 2022$
1	2	3	4
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स – शाखाएं	33,378	53,249	53,159
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स >2000*-बीसी	8,390	15,18,496	13,83,569
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स <2000*-बीसी	25,784	3,26,236	2,95,657
गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट्स – बीसी	34,174	18,44,732	16,79,226
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स – अन्य माध्यम	142	2,542	2,273
गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट्स - कुल	**67,694**	**19,00,523**	**17,34,658**
बीसी के माध्यम से समावेशित शहरी क्षेत्र	447	14,12,529	4,38,333^
बीएसबीडीए – शाखाओं के माध्यम से (संख्या लाख में)	600	2,712	2,704
बीएसबीडीए – शाखाओं के माध्यम से (राशि करोड़ में)	4,400	1,18,625	1,23,653
बीएसबीडीए – बीसी के माध्यम से (संख्या लाख में)	130	3,919	4,082
बीएसबीडीए – बीसी के माध्यम से (राशि करोड़ में)	1,100	95,021	1,16,777
बीएसबीडीए – कुल (संख्या लाख में)	**735**	**6,631**	**6,786**
बीएसबीडीए – कुल (राशि करोड़ में)	**5,500**	**2,13,646**	**2,40,430**
बीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (संख्या लाख में)	2	64	89
बीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (राशि करोड़ में)	10	556	546
केसीसी – कुल (संख्या लाख में)	240	473	499
केसीसी – कुल (राशि करोड़ में)	1,24,000	6,93,596	7,66,694
जीसीसी – कुल (संख्या लाख में)	10	87	67
जीसीसी – कुल (राशि करोड़ में)	3,500	1,99,145	1,85,915
आईसीटी-ए/सी – बीसी – कुल लेनदेन (संख्या लाख में)#	270	21,095	25,434
आईसीटी-ए/सी – बीसी – कुल लेनदेन (राशि करोड़ में)#	700	6,62,211	8,15,598

$: आंकड़े अनंतिम हैं। *: गांव की जनसंख्या #: वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन।
^: कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों के कारण अत्यधिक गिरावट हुई है।
स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफ़आईपी विवरणियां।

प्रतिनिधियों - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (बीसी-आईसीटी) चैनल के माध्यम से लेनदेन, के माध्यम से बैंकों की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है। इन मापदंडों के संबंध में दिसंबर 2022 के अंत तक हुई प्रगति को सारणी IV.4 में दर्शाया गया है।

वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफ़आई-सूचकांक)

IV.18 देश भर में वित्तीय समावेशन की व्यापकता के स्तर का पता लगाने के लिए संबंधित हितधारकों के परामर्श से एक सम्मिश्र एफ़आई-सूचकांक तैयार किया गया है। इस एफआई-सूचकांक में तीन व्यापक उप-सूचकांक (कोष्ठक में दर्शाए गए आयाम) अर्थात पहुंच (35 प्रतिशत), उपयोग (45 प्रतिशत) और गुणवत्ता (20 प्रतिशत) शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक में कई संकेतक शामिल हैं।

IV.19 एफ़आई सूचकांक के दूसरे संस्करण में मार्च 2021 का एफ़आई सूचकांक 4.6 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) के साथ 53.9 से बढ़कर मार्च 2022 में 56.4 प्रतिशत हो गया है। साथ ही सभी उप-सूचकांकों में भी वृद्धि देखी गई है।

वित्तीय साक्षरता

IV.20 ब्लॉक स्तर पर भौतिक माध्यम से वित्तीय साक्षरता पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2017 में नौ राज्यों के 80 ब्लॉकों में पायलट सीएफएल परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसे बाद में वर्ष 2019 में 20 आदिवासी/आर्थिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों तक बढ़ा दिया गया था (बॉक्स IV.1)।

स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा का समावेश

IV.21 स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता संबंधी विषय-वस्तु विकसित करना एनएसएफई: 2020-2025 के कार्यनीतिक लक्ष्यों में से एक है। एनसीएफई ने अन्य विनियामकों और सीबीएसई के साथ मिलकर कक्षा VI से *X* तक के छात्रों के लिए पांच शैक्षिक कार्य-पुस्तिकाएं तैयार की हैं। अभी तक, 22 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के शैक्षणिक बोर्डों ने वित्तीय शिक्षा संबंधी मॉड्यूल को अपने स्कूल पाठ्यक्रम में पूर्ण/आंशिक रूप से शामिल कर लिया है। इसके अलावा, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को सम्मिलित किया है।

बॉक्स IV.1

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल): हासिल की गई प्रगति और आगे की राह

सीएफएल परियोजना की शुरुआत ब्लॉक स्तर पर वित्तीय साक्षरता हेतु नवोन्मेषी और सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी । पायलट परियोजना से प्राप्त अनुभव और हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सीएफएल परियोजना को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया । इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएफ), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) और प्रायोजक बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। इन सीएफएल द्वारा आयोजित किए जाने वाले वित्तीय साक्षरता शिविरों का उद्देश्य खोले गए/पुन: सक्रिय किए गए खाते, पेंशन और बीमा लिंकेज जैसे विशिष्ट तरह के अंतिम परिणाम हासिल करना है। इसकी निगरानी स्वचालित डेटा निष्कर्षण परियोजना (एडीईपीटी) पोर्टल पर अपलोड किए गए अंतिम-परिणामों से संबंधित डेटा के माध्यम से की जाती है।

एनएसएफआई के अनुसार मार्च 2024 तक देश के प्रत्येक ब्लॉक में सीएफएल की पहुंच का विस्तार करना एक प्रमुख लक्ष्य है। सीएफएल की पहुंच को अब पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए 31 मार्च 2023 तक 4,389 ब्लॉक को शामिल करने वाले 1,469 सीएफएल स्थापित हो चुके हैं तथा वर्ष 2024 तक पूरे देश को कवर किए जाने की उम्मीद है।

स्रोत: आरबीआई

एनसीएफई द्वारा रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय से शेष राज्यों के शैक्षणिक बोर्डों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं । इसके अलावा एनसीएफई, वित्तीय शिक्षा को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित करने के लिए उसके साथ संपर्क में है ।

वित्तीय साक्षरता केंद्रों द्वारा संचालित गतिविधियाँ

IV.22 दिसंबर 2022 के अंत तक देश में 1,478 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी)[3] थे । वर्ष 2022-23 के दौरान एफएलसी द्वारा 31 दिसंबर 2022 तक कुल 1,10,081 वित्तीय साक्षरता संबंधी गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह- 2023 का आयोजन

IV.23 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडबल्यू) रिज़र्व बैंक की एक पहल है जिसके माध्यम से प्रत्येक वर्ष एक केंद्रित अभियान के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर आम जनता/आबादी के विभिन्न तबकों के बीच जागरूकता बढ़ाई जाती है । वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडबल्यू) ' सही वित्तीय बर्ताव - करे आपका बचाव' थीम के साथ 13 से 17 फरवरी 2023 तक मनाया गया, जिसे प्रमुख रूप से बचत, आयोजना और बजटिंग तथा डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने पर केन्द्रित किया गया था। इस सप्ताह के दौरान बैंकों को अपने ग्राहकों और आम जनता के बीच सूचना का प्रचार-प्रसार करने और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कहा गया था । इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने आम जनता के बीच उक्त विषय से संबंधित आवश्यक वित्तीय जागरूकता संदेशों के प्रचार के लिए एक केंद्रीकृत मास मीडिया अभियान भी चलाया ।

3. वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

IV.24 विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

- सीएफ़एल को पूरे देश में बढ़ाने के लिए शेष ब्लॉक में सीएफएल की स्थापना करना (उत्कर्ष 2.0); और
- वित्तीय समावेशन के लिए जी-20 ग्लोबल पार्टनरशिप (जीपीएफआई) के कार्य-निर्णयों की दिशा में काम करना ।

4. निष्कर्ष

IV.25 वित्तीय समावेशन पर निरंतर बल देने का ही प्रभाव है कि मार्च 2022 में जारी एफआई-इंडेक्स के दूसरे संस्करण में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित हो रही है । वर्ष के दौरान, बैंक ने विविध प्रयासों के क्रियान्वयन के द्वारा वित्तीय समावेशन पर बल देना जारी रखा ताकि एनएसएफ़आई और एनएसएफ़ई के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके । देश के शेष ब्लॉकों में सीएफएल की स्थापना से देश में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने में निश्चय ही मदद मिलेगी।

[3] एफएलसी बैंकों द्वारा स्थापित किए जाते हैं और उनका प्रबंधन वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है ।